प्रेस नोट
29/08/2025

ईडी ने व्यापार-आधारित धन शोधन कार्यप्रणाली पर इंटरपोल पर्पल नोटिस हासिल किया

गतिशील आपराधिक परिदृश्य में आगे रहने के प्रयास में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने **21 अगस्त, 2025 को इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस सफलतापूर्वक प्रकाशित किया है**। एक मामले की जांच के दौरान, ईडी की जांच टीम ने व्यापार आधारित धन शोधन की प्रकृति के एक भिन्न कार्यप्रणाली का पता लगाया, जिसके बारे में इसने इंटरपोल के 196 सदस्य देशों में अपने समकक्ष वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस नोटिस के माध्यम से सतर्क किया। पर्पल नोटिस इंटरपोल द्वारा प्रकाशित आठ प्रकार की नोटिसों में से एक है, जो सदस्य देशों को "अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों और छुपाने के तरीकों की जानकारी" प्रदान करता है। पर्पल नोटिस का प्रकाशन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपने वैश्विक समकक्षों को इन नए उभरते धन शोधन तरीकों के प्रति जागरूक और चौकन्ना करने का एक प्रयास है।

इस मामले में, ईडी की जाँच से घरेलू और विदेशी फर्जी संस्थाओं के एक संगठित नेटवर्क का पता चला, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आड़ में बड़े पैमाने पर धन शोधन में लिप्त थे। षडयंत्रकारियों ने आयातों का कम मूल्यांकित बिल बनाकर, फर्जी शुल्क-मुक्त आयात (जैसे सेमीकंडक्टर) का इस्तेमाल करके, अनुपालन दस्तावेजों में धांधली करके, और अवैध धन प्रेषण को छिपाने के लिए अन्य देश की संस्थाओं के माध्यम से सर्कुलर पुनर्निर्यात करके व्यापार तंत्र और बैंकिंग चैनलों का फायदा उठाया।

इस सर्कुलर ट्रेडिंग ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार की एक झुठी कहानी रची, जिससे बड़े पैमाने पर धन शोधन को छिपाया गया। इस योजना में हवाला जैसी विशेषताएँ थीं, लेकिन नियामकीय जाँच से बचने के लिए यह औपचारिक बैंकिंग प्रणालियों, फर्जी कंपनियों और जाली व्यापारिक दस्तावेज़ों के ज़रिए संचालित होती थी।

पर्पल नोटिस का प्रकाशन परिष्कृत धन शोधन पद्धतियों को उजागर करने और वित्तीय अपराध के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में योगदान देने में ईडी की सक्रिय भूमिका को रेखांकित करता है।

धन शोधन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आमतौर पर सीमा पार के तत्व और प्रभाव शामिल होते हैं। इसलिए, इसप्रकार के आम और वैश्विक समस्या से निपटने वाली किसी भी कानूनी रणनीति में वृहत् अंतरराष्ट्रीय आयाम और समन्वय होना आवश्यक है। अनौपचारिक सहयोग, अनौपचारिक माध्यमों से सहयोग, संपत्तियों का पता लगाने/पहचान करने और चल रही जाँचों के लिए जानकारी जुटाने का एक प्रमुख आयाम है। प्रभावी घरेलू जाँच में अनौपचारिक सहयोग के माध्यम से समय पर और सटीक जानकारी जुटाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तदनुसार, काफी समय से प्रवर्तन निदेशालय इस क्षेत्र में मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करता रहा है और एजेंसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय विशेषज्ञ समूहों और संगठनों की पहचान करने में तत्पर रही है, जो विभिन्न अधिकारक्षेत्रों के मध्य अनौपचारिक सहयोग को सुगम बनाने में सहायक हो सकते हैं।

इस पर्पल नोटिस का प्रकाशन विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से भारत द्वारा निभाई जा रही नेतृत्वकारी भूमिका का भी प्रमाण है। भारत, प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से, धन शोधन से निपटने और अपराध की आय के लिए सुरक्षित पनाहगाहों को रोकने हेतु वैश्विक नीतियों को आकार देने के लिए ग्लोब नेटवर्क और एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क- एशिया पैसिफिक जैसे मंचों का उपयोग कर रहा है।